



मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र एलुमिनाई संस्था

मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.)-302004

(पंजीकरण क्रमांक- COOP/2017/JAIPUR/100063)

सहायता आवेदन-पत्र

आवेदन क्रमांक-

दिनांक-

नाम

जन्म तिथि

आधार संख्या

पिता का नाम

स्थायी पता

गांव.....तहसील.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

वर्तमान
पासपोर्ट साइज
फोटो

जमीन का आकार (बीघा में पटवारी द्वारा प्रमाणित) :.....

पारिवारिक वार्षिक आय :.....

सरपंच का नाम व मोबाईल नं. :.....

पहचानकर्ता का नाम व मोबाईल नं. :.....

ई-मेल :.....

लक्ष्य :

सहायता का उद्देश्य :.....

शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.सं.	कक्षा	सत्र	विद्यालय या कॉलेज का नाम पता	प्रतिशत
1				
2				
3				
4				
5				

पारिवारिक जानकारी :-

क्र.सं.	नाम	सम्बंध	आयु	व्यवसाय
1				
2				
3				
4				
5				

संलग्न दस्तावेज :-

1. आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा प्रमाणित)
2. जाति प्रमाण पत्र
3. अंक-तालिका (10 वीं, 12 वीं एवं अन्य)
4. बी पी एल या ए पी एल राशन कार्ड
5. सरपंच एवं स्कूल प्राचार्य का लिखित प्रमाण पत्र

घोषणा :-

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त अंकित समस्त सूचना एवं संलग्न दस्तावेज सत्य है, तथा मेरे द्वारा कोई भी जानकारी या तथ्य को छुपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में उक्त जानकारी या तथ्य गलत पाए जाते हैं तो एलुमिनाई संस्था के द्वारा मेरा अभ्यर्थन निरस्त करते हुए जो भी कार्यवाही की जाएगी वह मुझे सर्वमान्य होगी।

गवाह :-

1. नाम.....हस्ताक्षर.....
2. नाम.....हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर
छात्र

हस्ताक्षर
संरक्षक

हस्ताक्षर
पहचानकर्ता

हस्ताक्षर
सिफारिशकर्ता

नियम एवं शर्तें:-

30 सितम्बर, 2021 को कार्यकारिणी एवं संस्था के सभी सदस्यों के सुझावों के अनुसार एलुमिनाई संस्था द्वारा छात्रावास परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता के लिए सामान्य मानदंड का निर्धारण किया गया है।

- एलुमिनाई संस्था द्वारा, एलुमिनाई के सदस्यों या छात्रावास में अध्ययनरत भाइयों की आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु या विपरीत परिस्थितियों के कारण पढ़ाई जारी न रख पाने की परिस्थितियों में आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जा सकता है। इस समय में अधिकतम निष्पक्षतावाद के साथ निर्णय लेने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

पारिवारिक और आर्थिक मानदंड :-

1. पात्र छात्रावासी के माता-पिता या भाई-बहिन सरकारी सेवा में कार्यरत न हो।
2. पात्र छात्रावासी के माता-पिता या भाई-बहिन का कोई निजी व्यवसाय न हो।
3. पात्र छात्रावासी अनाथ हो।

4. पात्र छात्रावासी के पास 5 बीघा सिंचित या 10 बीघा असिंचित भूमि से कम भूमि हो।
5. पात्र छात्रावासी के परिवार के पास घर के अलावा प्लेट, प्लॉट, व्यवसायिक भूमि न हो।
6. पात्र छात्रावासी को मुआवजा, बीमा राशि, सरकारी सहायता राशि मिलने पर कमेटी आर्थिक सहयोग पर निर्णय करेगी।
7. पात्र छात्रावासी की सहायता प्रोत्साहक और रिफंडेबल होगी। छात्रावासी का जॉब लगने पर सहायता राशि एलुमिनाई संस्था को वापस करनी होगी ताकि भविष्य में दूसरे छात्रों की मदद की जा सके।
8. पात्र छात्रावासी की के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव संबंधित बैच द्वारा किया जाएगा और बैच कॉर्डिनेटर के माध्यम से कमेटी को भेज जाएगा जिस पर अंतिम निर्णय एलुमिनाई संस्था द्वारा किया जाएगा।
9. एलुमिनाई संस्था इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले आवश्यक जानकारी जुटाएंगे और छानबीन करेगी और इसके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पात्र छात्रावासी के गांव जाकर की विस्तृत जानकारी जुटाई जा सकती है।
10. आर्थिक सहायता की राशि के संबंध में एलुमिनाई संस्था द्वारा विभिन्न पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय किया जाएगा जो सर्वमान्य होगा।
11. छात्रावास के स्तर पर आर्थिक सहयोग के लिए अलग से कोई मिशन नहीं चलेगा परंतु गांव में या उसके दोस्तों द्वारा चलाए गए मिशन में सहयोग करने के लिए सभी स्वतंत्र होंगे और किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा।
12. इनके अतिरिक्त वे सभी नियम और शर्तें जो संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएय इस विषय पर लागू होगी।

मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र एलुमिनाई संस्था

जयपुर